प्रतिलिपि आदेश दिनांक 20-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 2597-तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 4-8-14 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील बड़ामलहरा जिला छतरपुर प्र0क्र0 0/अ-6/अ/07-08.

----

रजोता तनय रमला अहिरवार
निवासी रजपुरा तहसील बड़ामलहरा
जिला छतरपुर म0प्र0 --- आवेदक

विरुद्ध

1- गनेशा तनय भोला अहिरवार
2- चैनाबा तनय भोला अहिरवार
निवासी रजपुरा तहसील बड़ामलहरा
जिला छतरपुर म0प्र0 --- अनावेदकगण

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के |
|---|---|---|
| 25.8.2014 | यह निगरानी तहसीलदार बड़ा मलहरा जिला छतरपुर व्दारा प्र0क0 5 अ 6 अ/07–08 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4–8–14 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके व्दारा आवेदक व्दारा तहसीलदार के समक्ष सी0पी0सी0 आदेश 7 नियम 11 का आवेदन निरस्त किया गया है।<br>2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अनावेदकगण ने ग्राम रजपुरा स्थित भूमि स0 नं0 89,90,91,171,172 रकबा 2.661 के रिकार्ड को दुरूस्ती करने हेतु आवेदन दिया है यह प्रकरण अपील मे अनुविभागीय अधिकारी एंव आयुक्त न्यायालय तक गया एंव प्रकरण प्रत्यावर्तित होकर पुर्नजांच कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्राप्त है, जिस पर आवेदक ने आपत्ति की है कि वादोक्त भूमि में उसका हिस्सा 1/2 है और पूर्व से चले आ रहे रिकार्ड की दुरूस्ती तहसीलदार व्दारा नहीं की जा सकती, इसलिये प्रकरण निरस्त कर दिया जावे। तहसीलदार ने इसी आपत्ति आवेदन को अमान्य किया है। जब पूर्व में मामला निराकरण होने के उपरांत अपील में जाने पर अनुविभागीय अधिकारी एंव आयुक्त न्यायालय से प्रत्यावर्तित होकर पुर्नजांच कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्राप्त हुआ है तब वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश के पालन में तहसीलदार कार्यवाही हेतु वाध्य हैं जिसके कारण तहसीलदार व्दारा लिया गया निर्णय दिनांक 4–8–14 हस्तक्षेप योग्य न होने से निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। | |